सं. 803/105/2009-सीआरएस

भारत सरकार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

....

दिनांक: 6 मार्च, 2009

<u>आदेश</u>

विषय : सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए आधारभूत सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना – सभी आवेदकों को सूचनार्थ

इस मंत्रालय की जानकारी में यह लाया गया है कि आवेदक मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई प्रश्नावली के अनुसार आधारभूत सर्वेक्षण रिपोर्ट को सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय भेजने में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना कर रहे थे।

2. इस मंत्रालय में इस मामले पर विचार किया गया है और सर्वेक्षण प्रोफार्मा को सरल बनाने का निर्णय लिया गया है जिसे तदनुसार संशोधित किया जा रहा है।

3. आवेदकों से यह अपेक्षा होगी कि वे आशय पत्र (एलओआई) जारी किए जाने के बाद किंतु अनुमति प्रदान करने वाले करार (जीओपीए) को सम्पन्न करने से पहले विस्तृत आधारभूत सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तथापि, शामिल किए जाने वाले समुदाय की आधारभूत जानकारी और ज्ञान तथा सामुदायिक रेडियो स्टेशन द्वारा विशेष रूप से ध्यान दिए जाने वाले मुद्दों को आवेदन प्रपत्र में भावी विवरण के रूप में दर्शाया जाना चाहिए और जांच समिति के समक्ष प्रस्तुति के समय इन्हें सुस्पष्ट किया जाना चाहिए।

ह0/-

(अभिलक्ष लिखी)

निदेशक (बीडी)

टेलीफोन नं. 23385016